न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

उपस्थित :– **(वीरेन्द्र कुमार चौबे)**
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
–सह विशेष न्यायाधीश, किशोर न्यायालय,
मधेपुरा ।

A.B.P. No.-219/2026
गम्हरिया थाना कांड सं.–47/2023

1- शनि उर्फ ब्रजेश पासवान उम्र करीब 22 वर्ष पिता अखिलेश पासवान
(साकिन –बभनी वार्ड नं0–09, थाना–गम्हरिया एवं जिला–मधेपुरा)

.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार .....ओ.पी.।

07-03-2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **शनि उर्फ ब्रजेश पासवान** के द्वारा गम्हरिया थाना कांड संख्या–47/2023 अन्तर्गत धारा 341,323,324,307379,,504,34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा 3(i)(r) (s) SC/ST Act में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विद्वान लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर यादव को दी जा चुकी है।

सूचक श्यामसुन्दर सादा के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामल संक्षेप में यह है कि 07.03.2023 को वह घर से बभनी बाजार घरेलू समान के लिए गए थे। उघर से समान लेकर लौट रहे थे, तो शाम करीब 7 बजे बभनी स्टेडियम के पूरब पोखर के पास जैसे हीं पहुँचे की पूर्वधात लगाकर शंभू कुमार साह, कुन्दन झा, शनि पासवान तीनों उसे घेर लिया तथा गाली–गलौज देने लगा और बोला की मोबाईल और रूपया निकालो नहीं तो उसे मार दूँगा और इतने में उसके उपर चाकू से हमला कर दिया जो उसके बॉह में लगा जिससे वह जख्मी हो गया। तब वे लोग उसके पॉकेट से 5000/–रूपया तथा गले से चेन छीनकर भाग गया। इसी बीच उसके ही गॉव के सदानन्द सादा एवं कून्दन सादा दोनों बभनी बाजार से लौअ रहा था तो उसे आते देख ये तीनों लड़का को भागते देखा था। जख्मी हालत में ये दोनों लड़का के द्वारा उसको उठाकर गम्हरिया अस्पताल लाया गया, जहॉ उसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए। सदर अस्पताल मधेपुरा रेफर कर दिया गया। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त एवं अन्य नामजद अभियुक्तगण के विरूद्व गम्हरिया थाना कांड सं.–47/2023 अन्तर्गत धारा 341,323,324,307379,,504,34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा 3(i)(r) (s) SC/ST Act में के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार द्वारा यह अभिवाचित किया गया है कि आवेदक एक विद्यार्थी है और वह निर्दोष है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक का कोई पूर्व का अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्व एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन का कोई मुकदमा नहीं बनता है क्योंकि वह स्वयं पासवान जाति के व्यक्त है जो अनुसूचित जाति के अधीन आते हैं। अनुसंधान के क्रम में पुलिस के द्वारा इस आवेदक का तथाकथित घटना में संलिप्तता नहीं पाया गया है। इसलिए वह आवेदक के विरूद्व अंतिम प्रपत्र समर्पित किया है। पर माननीय न्यायालय के द्वारा इस आवेदक के विरूद्व भी कारित अपराध का संज्ञान ले लिया गया है। आवेदक को अभिरक्ष में लेकर उससे पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

07-03-2026
लगातार.....

वाद में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया है। आवेदक वचनवद्ध होता है कि वह न्यायालय के प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेगे। यह आवेदक मात्र 20 वर्ष का युवक है जिसका भविष्य उज्जवल है। आवेदक के द्वारा गवाहों को प्रभावित कने की संभावना नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक अभियुक्त न्यायालय की संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर यादव, द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहे हैं कि प्रस्तुत मामला आवेदक अभियुक्त द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 से बाधित है। अतः मामले के गुणा–गुण पर विचार किये ही बिना पोषणीयता के बिन्दु पर खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के लिखित आवेदन एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्व यह अभियोग लगाया गया है कि आवेदक अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर तथाकथित घटना के समय जब सूचक शाम को बाजार से लौट रहा था उसी समय पूर्व से घात लगाये बैठे अभियुक्तों ने मोबाइल एवं पैसे की मांग की नहीं देने पर उस पर चाकु से हमला कर जख्मी कर दिया एवं पॉकेट से 5000/–रुपया तथा गले से चेन छीन कर भाग गये। कांड दैनिकी के पारा–02 में सूचक ने अपने पुनः बयान, कांड दैनिकी के पारा–06,07 में साक्षी कुन्दन सादा, सदानन्द सादा ने प्राथमिकी के अनुसार घटना का समर्थन किया है। कांड़ दैनिकी के पैरा– 32 में जख्मियों के जख्म का उल्लेख किया गया है। कांड़ दैनिकी के पैरा–35 पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं पैरा–53 में प्रतिवेदन–2 में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व घटना का सत्य पाया गया है। प्रस्तुत वाद में सह अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या– 96/23 दिनांक– 10.06.2023 धारा 341,323,307,504,34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा धारा 3(i)(r) (s) SC/ST Act के अन्तर्गत समर्पित किया गया है तथा आवेदक अभियुक्त को अनुप्रेषित दर्शाया गया है। आवेदक अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तों के विरूद्व दिनांक–26.03.2025 को धारा 341,323,307,504,34 भारतीय दंड़ विधान एवं धारा 3(i)(r) (s) SC/ST Act के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाते हुए समर्पित किया गया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के संबंध में कोई प्रमाण–पत्र दाखिल नहीं किया गया है। धारा SC/ST Act के अन्तर्गत दण्डनीय प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विवेचना के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि आवेदक अभियुक्त द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तुत आवेदन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 में वर्णित प्रावधानों से वाधित है। अतः ऐसी स्थिति में जमानत मंजूर करने या न करने का प्रश्न ही नहीं है, परिणामस्वरूप उक्त आवेदन पोषणीयता के बिन्दु पर ही प्रस्तुत मामले के गुणा–गुण पर विचार किये बिना ही आवेदक अभियुक्त **शनि उर्फ ब्रजेश पासवान** का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। **आवेदक अभियुक्त यदि चाहे तो निम्न न्यायालय में आत्म–समपर्ण कर नियमित जमानत हेतु याचना कर सकते हैं।**

लेखापित

Virendra Kr Choudhary 7/3/26

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।